बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

–:अधिसूचना:–

पटना, दिनांक–

श्री नागेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त वाणिज्य–कर पदाधिकारी द्वारा कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना के पदस्थापन काल में कई त्रुटिपूर्ण/फर्जी विपत्रों को पारित किया गया, जिससे अवैध एवं अधिकाई निकासी संभव हुई।

उक्त मामले में निगरानी थाना कांड सं0–10/96, 28/96, 9/97, 36/97, 11/97 एवं 10/97 तथा सचिवालय थाना कांड सं0–176/96 दर्ज किया गया जिसमें अन्य लोगों के साथ श्री सिंह को भी सह–अभियुक्त बनाया गया है।

उक्त मामले में कार्रवाई करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0–780 दिनांक–06.11.2002 द्वारा श्री सिंह को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया। तत्पश्चात् आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प सं0–321 दिनांक–03.06.2004 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

श्री सिंह द्वारा उक्त निलंबनादेश के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–15955/2004 दायर किया गया, जिसमें दिनांक–13.04.2005 को न्याय निर्णय पारित किया गया। इस न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–546 दिनांक–19.07.2005 द्वारा श्री सिंह को निलंबन मुक्त कर दिया गया।

संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को अप्रमाणित करार दिया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर कार्रवाई के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि विभागीय कार्यवाही में प्राप्त फलाफल की समीक्षा कर निर्णय लेने के पूर्व अनुसंधान की प्रतीक्षा की जानी चाहिए।

इसके उपरान्त श्री सिंह द्वारा कई अभ्यावेदन विभाग को दिये गये परन्तु सक्षम प्राधिकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के कारण अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुँचा जा सका। इसी क्रम में श्री सिंह द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–2525/2025 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–05.02.2026 को Oral order पारित किया गया कि–

"Learned counsel for the petitioner is directed to instruct the petitioner to appear with appropriate address before the Disciplinary Authority on 11.02.2026 at 12:00 p.m. for participating in the pending Departmental inquiry and it is expected that the Disciplinary Authority, within a period of four weeks from the date of his first appearance, shall ensure taking final decision in the said inquiry and necessary developments so passed shall be brought on record for further consideration by this Court on the next date of hearing."

उक्त न्यायादेश का अनुपालन करते हुए श्री सिंह द्वारा दिनांक–11.02.2026 को अनुशासनिक प्राधिकार के समक्ष अपना पक्ष रखा गया। श्री सिंह के अनुसार इनके समक्ष

प्रस्तुत किये जाने वाले विपत्रों की अत्यधिक संख्या होने एवं उस समय कोषागार से संबंधित पंजियों/कागजातों का रख–रखाव सही ढंग से नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है।

श्री सिंह द्वारा रखे गये पक्ष, प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन/निवेदन एवं अन्य अभिलेखों का अनुशीलन किया गया। अनुशीलन के क्रम में यह पाया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं0–28/96, 36/97, 10/96 एवं 11/97 तथा सचिवालय थाना कांड सं0–176/96 में आरोप पत्र दायर है। इन अभिलेखों के अनुशीलन के क्रम में यह भी पाया गया कि विभागों से प्राप्त आवंटन पत्रों की अनदेखी कर फर्जी विपत्रों को पारित करने के दोष से श्री सिंह पूरी तरह से अपने आप को अलग नही कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से विपत्रों को पारित करने के क्रम में संबंधित कागजातों के पर्यवेक्षण में कमी का दोष स्थापित होता है।

निगरानी थाना कांड में संबंधित विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विपत्र लिपिक एवं अन्य कर्मियों के साथ श्री सिंह भी सह–अभियुक्त बनाये गये हैं।

श्री सिंह को पूर्व में 90 प्रतिशत औपबंधिक पेंशन, 90 प्रतिशत औपबंधिक उपदान एवं अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि का 90 प्रतिशत के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

संबंधित मामले में माननीय उच्च न्यायालय का न्याय निर्णय एवं विधि विभाग का परामर्श भी प्राप्त है, जिसमें यह कहा गया है कि आपराधिक मामले में विलम्ब के कारण विभागीय कार्यवाही के अंतिम निर्णय को लंबे समय तक रोक कर नहीं रखा जा सकता है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री सिंह द्वारा रखे गये पक्ष, प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन/निवेदन से असहमत होते हुये उनके पेंशन पर 10 प्रतिशत की स्थायी रूप से रोक लगाये जाने का दंड विनिश्चित किया गया। विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–47/सी(अनु0) दिनांक–19.02.2026 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक–299/लो0से0आ0 दिनांक–30.04.2026 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध ''पेंशन से 10%(दस प्रतिशत) की स्थायी रूप से रोक लगाये जाने'' संबंधी दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री नागेन्द्र सिंह तत्कालीन वाणिज्य–कर पदाधिकारी, सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध उनके पेंशन पर 10% (दस प्रतिशत) की स्थायी रूप से रोक लगायी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(नीतू सिंह)
सरकार के अवर सचिव
पटना, दिनांक– 6.5.26

ज्ञापांक–कौन/भी–109/98 132/स

प्रतिलिपिः–माननीय उपमुख्यमंत्री(वाणिज्य–कर विभाग), बिहार, पटना के आप्त सचिव/राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार (ले0 एवं हक0), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग,

बिहार, पटना/उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सी०डी० सहित दो प्रतियों में (आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य कर विभाग के माध्यम से)/राज्य–कर संयुक्त आयुक्त, राजपत्रित स्थापना शाखा/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री नागेन्द्र सिंह, सेवानिवृत वाणिज्य–कर पदाधिकारी पता–314 शिवशक्ति अपार्टमेंट, गोला रोड, पटना मो0–8092721325 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.05.26

सरकार के अवर सचिव।